

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/1768

दिनांक - 01/05/25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 पुरखाराम पुत्र  
हिराराम जाति जाट  
निवासी राईकों की  
ढाणी, कगाऊ  
तहसील व जिला  
बाड़मेर।


1 गोकलाराम पुत्र कानाराम 2 मेहराराम पुत्र फुसाराम 3  
ईमरती पत्नि मेहराराम 4 मालाराम पुत्र मातीराम 5  
हुकमाराम 6 पोकरराम पिसरान राऊराम 7 ताजाराम पुत्र  
वगताराम 8 किरतुराराम पुत्र अमराराम 9 रुगनाथाराम पुत्र  
उदाराम 10 आदुराम पुत्र जेताराम 11 देदाराम पुत्र  
हरखाराम जाति जाट निवासी राईकों की ढाणी कगाऊ 12  
भंवराराम पुत्र गोकलाराम 13 मुकाराम पुत्र शिवदान 14  
वावुराम 15 घमाराम 16 मानाराम पिसरान आसुराम 17  
मिश्राराम 18 उमाराम 19 जेठाराम पिसरान राणाराम 20  
मांगाराम 21 तगाराम पिसरान खेताराम जाति मेघवाल  
निवासी राईकों की ढाणी कगाऊ 22 अजाराम पुत्र धर्माराम  
23 इन्द्र देवी पत्नि धर्माराम जाति रवारी निवासी राईकों की  
ढाणी कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 597/2024

दिनांक- 23/04/25

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा राईको की ढाणी पटवार क्षेत्र कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर  
के खसरा संख्या 241 रकबा 0.0162 हेक्टर, खसरा संख्या 464/238 रकबा 13.047 हेक्टर, खसरा  
संख्या 467/243 रकबा 1.9263 हेक्टर, खसरा संख्या 468/243 रकबा 11.5173 हेक्टर, भूमि के  
चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर कमीश्नर नियुक्त  
किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये  
सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने  
बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति  
में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र  
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,


उप खण्ड बाड़मेर

दिनांक- 11/05/25

क्रमांक :- रीडर/2025/1769-72

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कगाऊ तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी पुरखाराम पुत्र हिराराम जाति जाट निवासी राईकों की ढाणी, कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण गोकलाराम पुत्र कानाराम वगैराह जाति जाट निवासी राईकों की ढाणी, कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
उप खण्ड बाड़मेर  
बाड़मेर